अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 605(अ).— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 5 में संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 (आगे से मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 5 में -

(क) उप-विनियम (6) में -

(i) खण्ड (ख) और (ग) में -

(क) "हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन" शब्दों के लिए, जहां-कहीं वे लिखे गए हों, "हाइड्रोकार्बन स्टील पाइपलाइन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) स्पष्टीकरण में दो जगह पर *"एक वर्ष"* शब्दों के स्थान पर, *"तीन वर्ष"* शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) खण्ड (ङ.) में, -

(क) तालिका में कालम (3) के शीर्षक में ब्रैकेट और एस्ट्रिक मार्क को हटाया जाए।

(ख) एस्ट्रिक मार्क (*) सहित पाद टिप्पणी के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामत:-

"(i) संयुक्त निवल मूल्य की गणना अनुसूची 'ट' की पद्धति-I, या कंपनी या उसके प्रवर्तक कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनियों की अन्य श्रेणियों के लिए अनुसूची 'ट' की पद्धति-2 में शामिल हों, के अनुसार की जाए।

(ii) लेटर ऑफ कंफर्ट के प्रपत्र में प्रवर्तक की वचनबद्धता में यह कहा गया है कि परियोजना में प्रवर्तक का योगदान परियोजना वित्त-पोषण अनुसूची के अनुसार चरणबद्ध ढंग से शामिल किया जाएगा जिसके साथ आवेदन-सह-बोली दस्तावेज में दिया गया प्रपत्र संलग्न होना चाहिए";

(ख) खण्ड (क) में उप-विनियम (7) में निम्नलिखित को अंत में जोड़ा जाएगा, नामत:

"और कंपनी द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और संभाव्यता रिपोर्ट में आवेदन-सह-बोली दस्तावेज में उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा और परिणामस्वरूप आवेदन-सह-बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुसार नियंत्रित प्रशुल्कों (नेटवर्क प्रशुल्क और कंप्रेशन प्रभार) से पूंजी पर न्यूनतम आईआरआर निवेश किया जाएगा। कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय बोली में उद्धरण एफआर में विचारार्थ मूल्यों के आवेदन-सह-बोली दस्तावेज में उल्लिखित अनुसार अनुमेय भिन्नता के अंदर हों"।

(ग) उप-विनियम (8) में "दिनांक" शब्द के स्थान पर "दिनांक और समय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

3. **विनियम 7 में संशोधन**

मूल विनियमों के विनियम 7 में निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएं, नामत:-

"(4) निविदा मूल्यांकन उद्देश्य के लिए नेटवर्क प्रशुल्क और कंप्रेशन प्रभारों पर सामान्य वाहक या ठेका वाहक के क्षेत्राधिकार से छूट हेतु विशिष्ट अवधि के बाद ही विचार किया जाए। इस विशिष्ट अवधि में लिया जाने वाला नेटवर्क प्रशुल्क और कंप्रेशन प्रभार छठे-दसवें वर्ष में उद्धृत मूल्यों या छठे वर्ष के उद्धृत मूल्यों का

90%, जो भी कम हो, का औसत होगा तथा इसे सांकेतिक उद्देश्य के लिए वित्तीय बोली में भी दर्शाया जाएगा"।

4. विनियम 10 में संशोधन

उप-विनियम (1) के लिए मूल विनियमों के विनियम 10 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, नामत: :-

"(i) चयनित कंपनी को निविदा को अंतिम रूप दिए जाने पर प्राधिकार प्रदान करने हेतु एक आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा। कंपनी को एलओआई के जारी होने के 15 दिनों के अंदर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी और बोर्ड द्वारा निर्देशित अनुसार ऐसी अन्य औपारिकताएं पूरी करनी होंगी। निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चयनित कंपनी को अनुसूची 'घ' प्रपत्र में प्राधिकार प्रदान किया जाएगा।"

5. विनियम 11 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 11 में,

(क) उप-विनियम (1) में,-

(i) "सुनिश्चित प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौता" शब्दों के बाद "या प्राकृतिक गैस उत्पादक/विपणनकर्ता सहित आपूर्ति के लिए गैस आपूर्ति समझौता के शीर्ष (एचओए/समझौता ज्ञापन (एमओयू)" शब्दों को जोड़ा जाए,

(ii) "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ बीस दिन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) उप-विनियम (3) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामत: :-

"(3) प्राधिकृत कंपनी प्राधिकरण प्रदान किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि में सुनिश्चित प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते सहित किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से वित्तीय समापन प्राप्त करेगा।";

(ग) उप-विनियम (4) में, -

(i) "एक सौ बीस दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ अस्सी दिन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ii) परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, नामत:-

"आगे यह भी कि वित्तीय समापन का अर्थ सीजीडी परियोजना के पहले चरण के लिए निधियां उपलब्ध कराने या जुटाने हेतु इक्विटी धारकों और ऋण वित्त-पोषकों की कानूनी रूप से बाध्य वचनबद्धता से है जो सीजीडी नेटवर्क के पहले पाँच वर्षों के लिए खर्च की जाने वाली परियोजना लागत का नब्बे प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए"।

6. **विनियम 12 में प्रावधान**

मूल विनियमों के विनियम 12 में निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाए, नामत:-

"बशर्ते कि विनिर्दिष्ट पारेषण पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस का प्रवाह सूचित किए गए अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख में यदि तीन माह की अवधि से अधिक की देरी हो जाती है और यह सीजीडी नेटवर्क द्वारा गैस लेने की तारीख के भी बाद हो, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया के जरिए चयनित प्राधिकृत सीजीडी कंपनी की कोई गलती न हो, तो बोर्ड ऐसे विलंब के कारणों का आकलन करने के बाद प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत पारेषण पाइपलाइन में वास्तविक और अनुसूचित प्राकृतिक गैस में अंतर की संबंधित अवधि या जब से सीजीडी नेटवर्क गैस लेने के लिए तैयार हो, जो भी कम हो, सामान्य वाहक या ठेका वाहक के क्षेत्राधिकार से छूट हेतु विशिष्ट अवधि को बढ़ा सकता है। ऐसे मामले में बोर्ड द्वारा इंच-कि.मी. तथा घरेलू कनेक्शन और नेटवर्क प्रशुल्क और कंप्रेशन प्रभारों को लगाने की अनुसूची में भी तदनुसार परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा, विनिर्दिष्ट अनुसार सीजीडी नेटवर्क को बिछाने, निर्माण या विस्तार करने की विशिष्ट अवधि को भी उसी अवधि तक बढ़ाया जाएगा। प्रतिबद्ध लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से यह प्रभावित वर्षों के लिए यथा अनुपात होगा"।

7. **विनियम 16 में संशोधन**

विनियम 16 के उप-विनियम (1) में खण्ड (ग) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, नामत:-

"उपचारी कार्रवाई करने में असफल रहने पर बोर्ड इंच-कि.मी. और/या घरेलू कनेक्शनों के लक्ष्यों को पूरा करने में प्रतिशत कमी के बराबर इक्विटी निष्पादन बांड को भुना सकता है। बशर्ते कि यदि कंपनी सामान्य वाहक या ठेका वाहक के क्षेत्राधिकार से छूट के लिए विशिष्ट अवधि के समाप्त होने पर संचयी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है तो भुनाए गए

मूल्य की राशि को लौटा दिया जाएगा। इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहने पर निष्पादन बांड को निम्नानुसार भुनाया जाएगा:

(i) पहली चूक के लिए निष्पादन बांड की 25% राशि; और

(ii) दूसरी चूक के लिए निष्पादन बांड की 50% राशि।

बशर्ते कि कंपनी बांड राशि भुनाए जाने के दो सप्ताह के अंदर उपर्युक्त प्रत्येक मामले में भुनाए गए निष्पादन बांड की राशि को पूरा करेगा, ऐसा न करने पर निष्पादन बांड की बकाया राशि को भी भुना लिया जाएगा और कंपनी के प्राधिकार को रद्द कर दिया जाएगा।

(iii) तीसरी चूक के लिए निष्पादन बांड की 100% राशि तथा इसके साथ-साथ कंपनी के प्राधिकार को रद्द करना"।

8. अनुसूची 'ग' का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के अनुसूची ग के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामत:

"अनुसूची ग

[विनियम 5(7) देखें]

सीजीडी नेटवर्क के प्राधिकार के लिए आवेदन-सह-बोली

सेवा में,

सचिव,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
प्रथम तल, विश्व व्यापार केन्द्र,
बाबर लेन, क्नॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110 001

विषय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अंतर्गत......................राज्य या संघ शासित क्षेत्र के................................प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्र में नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के प्राधिकार देने हेतु आवेदन-सह-बोली

(जहां आवश्यक हो सूचना प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त शीट संलग्न करें)

भाग-1 - कंपनी का सामान्य विवरण और परियोजना का तकनीकी विवरण (विधिवत चिह्नित, मोहरबंद और एक अतिरिक्त लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)		
1.	कंपनी का विवरण	
क.	कंपनी का नाम	
ख.	कंपनी का प्रकार - सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/निजी लिमिटेड कंपनी/भागीदार कंपनी/प्रोप्राइटरशिप फर्म/अन्य (कृपया उल्लेख करें और संस्था के अंतर्नियम या साझेदारी विलेख आदि, जैसा लागू हो, संलग्न करें)।	
ग.	निगमन की तारीख और व्यवसाय शुरू करने की तारीख	
घ.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
ड.	सभी निदेशकों/भागीदारों/प्रोपराइटर के नाम, पते, दूरभाष संख्या, ई-मेल पते (कृपया एसटीडी कोड और पिन कोड सहित पूरा विवरण दें)।	

2.	कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां	
क	कंपनी के सभी मौजूदा नगर गैस वितरण नेटवर्कों का विवरण, यदि कोई हो, और इसकी संस्थापित क्षमता, अब तक खर्च की गई पूंजी लागत, प्रचालन शुरू करने की स्थिति, विगत 3 वर्षों में नेटवर्क में परिवहन की गई वर्ष-वार गैस मात्रा तथा नामित ग्राहकों का ब्यौरा, मौजूदा सुविधाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला वितरण नेटवर्क मानचित्र तथा भावी योजना और प्राकृतिक गैस कनेक्टिविटी का ब्यौरा हो।	
ख	प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और विपणन के लिए किसी कंपनी के साथ किया गया समझौता या सहयोग का विवरण।	
ग	पिछले पांच वर्षों से प्रवर्तकों द्वारा किए जा रहे अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, का विवरण।	
3.	स्वामित्व और सम्बद्धता का विवरण	
क	प्रवर्तकों का विवरण	
ख	कंपनी की सभी सम्बद्ध संस्थाओं का विवरण, जिसमें कंपनी और सम्बद्ध संस्थाओं के बीच व्यावसायिक रिश्ते को बताया गया हो। ('सम्बद्ध संस्था' का अर्थ सम्बद्ध आचरण संहिता के लिए संगत विनियमों में परिभाषित अनुसार है)।	
ग	कंपनी बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर अपने और अपनी कंपनियों के सभी संबंधित प्रलेखों या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देती है।	हां/नहीं
घ	क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है?	हां/नहीं
ङ.	क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत किसी कंपनी द्वारा प्रोमोट की गई है?	हां/नहीं

च.	यदि संस्था आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करते समय कंपनी नहीं है तो प्राधिकार के लिए उसका चयन होने पर वह कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक कंपनी निर्माण की घोषणा करती है।	हां/नहीं
छ.	प्रोमोटरों का लेटर ऑफ कम्फर्ट के प्रपत्र में वचनबद्धता, जिसमें यह कहा गया हो कि प्राधिकार मिलने की तारीख से तीन महीने के अंदर परियोजना के लिए दिए गए उनके वित्तीय योगदान को इक्विटी शेयर पूंजी में बदल दिया जाएगा। प्रोमोटरों से प्राप्त लैटर आफ कम्फर्ट संलग्न करें।	हां/नहीं
4.	प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क परियोजना का तकनीकी विवरण	
क.	प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क परियोजना का नाम	
ख.	मानचित्र में चार्ज क्षेत्रों और प्रस्तावित सुविधाओं की रूपरेखा सहित भौगोलिक क्षेत्र की सीमा दर्शाएं।	
ग	प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के स्रोत और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के साथ क्षमता समझौता, जिसमें समझौते की चरण-वार कनेक्टिविटी, यदि कोई हो, और विवरण शामिल हो।	
घ	पुष्टि करें कि सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार सुरक्षा मानकों सहित सभी लागू तकनीकी मानकों पर विचार किया गया है तथा इनका सीजीडी नेटवर्क का डिजाइन बनाने में अनुपालन किया गया हो?	हां/नहीं
ड	विनियम 5*(6)* के अंतर्गत अप्रतिदेय आवेदन शुल्क	< >रु0
	डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर	
	डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर की संख्या और दिनांक	
	जारीकर्ता बैंक और शाखा का नाम	

च	बोली बंधपत्र	< >रु0
	डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंक गारंटी	
	डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंक गारंटी की संख्या व दिनांक	
	जारीकर्ता बैंक और शाखा का नाम	

भाग-II: वित्तीय बोली (एक अलग चिह्नित मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए) उन्हीं कंपनियों के लिए खोली जाएगी जो विनियम 5*(7)* के अंतर्गत न्यूनतम पात्रता मानदण्ड और स्वीकार्य व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा करते हों।		
क	परियोजना की मितव्ययी अवधि (जो प्राधिकार की तारीख से 25 वर्ष के लिए होगी) सीजीडी नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए भारित औसत प्रशुल्क बोली का वर्तमान मूल्य (पीवी)।	परियोजना की मितव्ययी अवधि 14% छूट दर का लाभ रखते हुए प्रतिवर्ष के लिए भारित औसत नेटवर्क प्रशुल्क बोली का वर्तमान मूल्य(पीवी) <__________> रुपए प्रति एमएमबीटीयू है। वर्ष-वार भारित औसत इकाई नेटवर्क टैरिफ बोली:- 6 वर्ष: <...........>रु0 प्रति एमएमबीटीयू 7 वर्ष : <...........>रु0 प्रति एमएमबीटीयू : : 25 वर्ष: <.........> रु0 प्रति एमएमबीटीयू
		1 से 5वें वर्ष तक वर्ष-वार भारित औसत यूनिट नेटवर्क प्रशुल्क केवल सूचना के लिए है (इसका बोली मूल्यांकन के लिए विचार *नहीं किया जाएगा*) वर्ष 1: <...........>रु0 प्रति एमएमबीटीयू वर्ष 2: <...........>रु0 प्रति एमएमबीटीयू : : वर्ष 5: <.........> रु0 प्रति एमएमबीटीयू

ख	प्राकृतिक गैस को कंप्रेस करके सीएनजी में बदलने के लिए कंप्रेशन प्रभार बोली का वर्तमान मूल्य (पीवी)। इस गैस की सीजीडी नेटवर्क मितव्ययी अवधि (जो प्राधिकार की तारीख से 25 वर्ष का होगा) सीएनजी स्टेशनों को आपूर्ति की जाएगी।	परियोजना की मितव्यय अवधि का 14% छूट दर का लाभ उठाते हुए प्रति वर्ष के लिए सीएनजी बोली हेतु कंप्रेशन प्रभार का वर्तमान मूल्य <......> रु0 प्रति कि0ग्रा0 है। सीएनजी बोली के लिए वर्ष वार कंप्रेशन प्रभार- 6 वर्ष: <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0 7 वर्ष <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0 : : 25 वर्ष: <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0 1 से 5वें वर्ष तक कंप्रेशन प्रभार केवल सूचना के लिए है (इसका बोली मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा): 1 वर्ष: <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0 2 वर्ष <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0 5 वर्ष: <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0
ग	सामान्य वाहक या संविदा वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट संबंधी विशिष्ट अवधि के दौरान सीजीडी नेटवर्क में इस्पात पाइपलाइन बोली के इंच-किलोमीटर का वर्तमान मूल्य (पीवी)।	14% छूट दर का लाभ उठाते हुए सीजीडी नेटवर्क में इस्पात पाइपलाइन बोली के इंच-किलोमीटर का वर्तमान मूल्य (पीवी) <इंच-किलोमीटर> है। वर्ष-वार इंच-किलोमीटर बोली - 1 वर्ष: < > इंच-किलोमीटर 2 वर्ष <.........> इंच-किलोमीटर 3 वर्ष : <.........> इंच-किलोमीटर आदि (सामान्य वाहक या ठेका वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट संबंधी प्रत्येक वर्ष की विशिष्ट अवधि)
घ	सीजीडी नेटवर्क में पीएनजी घरेलू ग्राहक बोली की संख्या का वर्तमान मूल्य।	14% छूट का लाभ उठाते हुए पीएनजी घरेलू कनेक्शन बोली संख्या का वर्तमान मूल्य <संख्या> हैं।

		पीएनजी घरेलू कनेक्शन बोली की वर्ष-वार संख्या - 1 वर्ष: < >इंच-किलोमीटर 2 वर्ष < >इंच-किलोमीटर 3 वर्ष: < >इंच-किलोमीटर आदि (सामान्य वाहक या ठेका वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट संबंधी विशिष्ट अवधि का प्रत्येक वर्ष)

<u>घोषणा</u>

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इस आवेदन-सह-बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट, संलग्नक, अनुलग्नक और गणना शीट में दिए गए आंकड़े और सूचना सही पूर्ण और सत्य हैं, और यदि इनमें दिया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है तो आवेदन-सह-बोली निरस्त कर दी जाएगी, आवेदन-शुल्क और बोली बंधपत्र जब्त कर लिए जाएंगे और मैं/हम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई और दण्ड के हकदार होंगे।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा केवल एक ही आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत की गई है जो उपर्युक्त है और इस नगर अथवा स्थानीय क्षेत्र के लिए मेरे/हमारे द्वारा अलग से कोई भी दूसरा आवेदन-सह-बोली पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. हम यह घोषणा करते हैं कि प्राधिकार प्रदान करने के लिए आशय-पत्र के जारी होने पर हम प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क, परियोजना डिजाइन और सीजीडी नेटवर्क की संस्थापित क्षमता के लिए परिकल्पित विकास योजना तथा उसके साथ चरण-वार प्रचालन शुरू करने की अनुमानित तारीख सहित पूंजीगत व्यय योजनाओं का चरणबद्ध ब्यौरा और पीएनजीआरबी के अनुमोदन तथा प्राधिकार प्रदान करने के लिए परियोजना को पूरा करने से संबद्ध कार्यकलापों या लक्ष्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

4. हम यह भी घोषणा करते हैं कि प्राधिकार प्राप्त होने के बाद हम सीजीडी परियोजना का सभी ब्यौरा जैसे डीएफआर (जिसके आधार पर वित्तीय अनुमोदन लिए गए हैं), परियोजना की सभी तकनीकी विशिष्टियां जिनमें पाइपलाइन डिजाइन, दबाव, नेटवर्क की लंबाई, पाइपलाइन व्यास, पाइपलाइन की मोटाई, मार्ग, अपक्षय सुरक्षा व्यवस्था, नगर द्वार स्टेशन, प्राकृतिक गैस स्रोत, टैप ऑफ प्वाइंट, प्रमुख ब्लॉक वाल्व, पृथक वाल्व,

आपात शटडाउन वाल्व, गंध सुविधाएं, मीटर व्यवस्था, सीएनजी स्टेशन, एचएसई उपाय आदि शामिल हैं, प्रस्तुत करेंगे।

दिनांक :

कंपनी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

स्थान :

मोहर कार्यालय मोहर

आवेदन-सह-बोली भरने के लिए अनुदेश

1. फार्म और संलग्न दस्तावेजों की सभी प्रविष्टियां पठनीय हों और उनमें कोई काट-छांट न की गई हो।

2. अपेक्षित विवरण अलग से संलग्न किए जा सकते हैं जिस मद के लिए इन्हें संलग्न किया गया है उसका स्पष्ट संदर्भ देना चाहिए।

3. आवेदन-सह-बोली और अनुलग्नकों व विवरणों के सभी पृष्ठों पर क्रम संख्या लिखी जानी चाहिए तथा उन पर कंपनी अथवा कंपनी द्वारा नोटेरी के माध्यम से अधिकार पत्र दिए हुए प्राधिकारी के आद्याक्षर किए जाने चाहिए।

4. आवेदन-सह-बोली में दी गई सूचना की अभिपुष्टि करने के लिए आवश्यक प्रमाण संलग्न करने चाहिए।

5. कंपनी को बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुसार सभी संलग्नकों सहित आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करनी चाहिए।

6. अपूर्ण आवेदन-सह-बोली को निरस्त कर दिया जाएगा।

7. सभी उद्धृत आंकड़े धनात्मक संख्या होनी चाहिए।

8. उप-विनियम 5(5) के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत आवेदन-सह-बोली के साथ सभी अनुलग्नक इस तरह से लगाए जाने चाहिए जैसा कि आवेदन-सह-बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुसार हों, जो ऐसी बोली की निबंधन एवं शर्तों का विस्तारपूर्वक उललेख करते हों"।

अनुसूची घ में संशोधन

मूल विनियमों की अनुसूची घ में -

(क) पैरा 8 में "एक सौ बीस दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ अस्सी दिन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) पैरा 9 में "जो इस अनुसूची के साथ भी संलग्न है" शब्दों को अंत में जोड़ा जाए।

10. **नई अनुसूची जोड़ना:**

अनुसूची ञ के बाद, निम्निलिखित अनुसूची को जोड़ा जाए, नामत: :-

"अनुसूची ट
[देखें विनियम 5(6) (ङ.) (i)]

निवल मूल्य की गणना के लिए पद्धति

पद्धति 1 के अंतर्गत निवल मूल्य गणना की पद्धति:

अभिदत्त पूंजी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	
जमा: रिजर्व और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	
घटा: विविध व्यय को बट्टे खाते नहीं डाला गया	
घटा: इक्विटी शेयरधारक के वितरण के लिए रिजर्व उपलब्ध नहीं है	
कुल निवल मूल्य	

पद्धति 2 के अंतर्गत निवल मूल्य गणना की पद्धति:

निम्नलिखित आधार पर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन द्वारा:

क. आवेदक (बाजार मूल्य पर) के नाम में सूचीबद्ध (उद्धृत) निवेश (विस्तृत सूची संलग्न की जाए)।

ख. सूचीबद्ध (उद्धृत) निवेश के बाजार मूल्य पर 30% का मार्जिन।

ग. सूचीबद्ध निवेश का निवल मूल्य (क) - (ख)

घ. असूचीबद्ध (बिना उद्धृत) कंपनियों में निवेश (टिप्पणी सं.2 के अनुसार)

ङ. (घ) पर 50% का मार्जिन।

च. असूचीबद्ध निवेश का निवल मूल्य (घ) - (ङ.)

छ. अन्य निवेश (लागत पर) जैसे मौजूदा मूल्य पर पीपीएफ, एनएससी, पंजीकृत एनबीएफसी, बैंक एफडी में जमा।

ज. कुल निवल निवेश (ग) + (च) + (छ)

झ. नियत परिसंपत्तियों के भूमि और भवन घटक का बाजार मूल्य (ऐसी परिसंपत्तियों का पूरा ब्यौरा दें जैसे सर्वेक्षण संख्या, स्थल, पता, भूमि और भवन की सीमा प्रस्तुत की जाए)।

ञ. 50% पर 1 का मार्जिन।

ट. ऐसी नियत परिसंपत्तियों का निवल मूल्य (झ - ञ)

ठ. ऋणी 3 माह + नकद और बैंक बकाया से अधिक न हो।

ड. वर्तमान देनदारियां

ढ. दीर्घावधि देनदारियां

ण. निवल मूल्य (ज + ट + ठ) - (ड. + ढ)

<u>टिप्पणियां :</u>

1. निवल मूल्य के विचारार्थ नियम परिसंपत्तियों का मूल्यांकन सरकार अनुमोदित मूल्याककों द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा जो बोली प्रस्तुत करने की तारीख से 2 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनी के नाम पर और उसके कब्जे वाली भूमि और भवन को शीर्ष (I) नियत परिसंपत्तियों के भूमि और भवन घटक में शामिल किया जाएगा। ऐसी संपत्तियां जो कंपनी द्वारा पट्टे पर दी गई हैं या पट्टे पर ली गई हैं, को निवल मूल्य की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। भूमि और भवन के अलावा, नियत परिसंपत्तियों को निवल मूल्य की गणना के प्रयोजन हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

2. असूचीबद्ध निवेश का मूल्यांकन उक्त निवेश अर्थात् "ब्यौरा मूल्य" और "अर्जन मूल्य" के औसत का "उचित मूल्य" होगा। इस उद्देश्य के लिए:-

   क) "ब्यौरा मूल्य" का अर्थ इक्विटी पूंजी और रिजर्व से है जो अमूर्त परिसंपत्तियों और मूल्यांकन रिजर्व द्वारा कम हो गया हो, और जो निवेश करने वाली कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या द्वारा विभाजित हो।

   ख) "अर्जन मूल्य" का अर्थ कर उपरांत लाभ का औसत लेकर गणना किए गए इक्विटी शेयर के मूल्य से है जो अधिमान लाभांश से कम हो गया हो तथा जिसे पिछले तीन वर्षों के लिए असाधारण और गैर-आवर्ती मदों में समायोजित किया

गया हो तथा आगे निवेश करने वाली कंपनी इक्विटी शेयरों की संख्या द्वारा विभाजित हो तथा निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत हो:-

- प्रमुख विनिर्माण कंपनी के मामले में आठ प्रतिशत;
- प्रमुख व्यापार कंपनी के मामले में दस प्रतिशत; और
- एनबीएफसी सहित अन्य किसी कंपनी के मामले में बारह प्रतिशत;
- यदि निवेश करने वाली कंपनी घाटे वाली कंपनी हो, तो अर्जन मूल्य शून्य लिया जाएगा।

(उदाहरण: 12% की पूंजीकरण दर सहित एनबीएफसी के लिए अर्जन मूल्य 100/12 द्वारा गुण करने के बाद प्रति शेयर अर्जन है)।

3. मदों के विवरण में निवेश, वर्तमान परिसंपत्तियां, वर्तमान देनदारियां और दीर्घावधि देनदारियां अलग से दर्शाई जानी चाहिए।

4. वर्तमान परिसंपत्तियों में संबंधित कंपनियों को दिए गए ऋण, अशोधन और संदिग्ध ऋण तथा 3 माह से अधिक का बकाया ऋण, पूंजीगत परिसंपत्तियों पर अग्रिम, प्रतिबद्ध प्रतिभूतियाँ/परिसंपत्तियाँ, पूर्व-प्रदत्त व्यय और अमूर्त परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं होंगी"।

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2010]

रतन पी. वातल, सचिव

पाद टिप्पणी :— मूल विनियमों को सं. सा.का.नि. 196(अ) दिनांक 19 मार्च, 2008 तथा तत्पश्चात् सा.का.नि. 800(अ) दिनांक 19 नवम्बर, 2008 तथा सा.का.नि. 295(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2009 द्वारा संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2010

G.S.R. 605(E).— In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 namely:-

1. **Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of regulation 5.**

In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 (hereinafter called the principal regulations), in regulation 5, -

(a) in sub-regulation (6), -

(i) in clauses (b) and (c), -

(A) for the words "hydrocarbon pipeline", wherever these occur, the words "hydrocarbon steel pipeline" shall be substituted;

(B) in the Explanation, for the words "*one year*" at two places, the words "*three years*" shall be substituted.

(ii) In clause (e), -

(A) in the table, in header of column (3), the brackets and asterisk mark shall be omitted.

(B) for the footnote with asterisk mark (*), the following shall be substituted, namely:-

"(i) The calculations for combined networth shall be done as per Method-1 of Schedule K in case the entity or its promoters are companies incorporated under the Companies Act, 1956, or Method-2 of Schedule K for other categories of entities.

(ii) The promoters undertaking in the form of letter of comfort stating that promoter's contribution in the project shall be infused in a phased manner as per the project financing schedule must accompany the application in the format given in the application-cum-bid document.";

(b) In sub-regulation (7), in clause (a), the following shall be inserted at the end, namely -

"and Feasibility Report (FR) and the feasibility report submitted by the entity shall follow the guidelines provided for the same in the Application-cum-Bid document and shall result in a minimum IRR on capital employed from the regulated tariffs (network tariff and compression charges) as specified in the Application cum Bid document. The entity shall ensure that the quotes in the financial bid are within permissible variation as specified in the Application-cum-Bid document, of the values considered in the FR".

(c) In sub-regulation (8), for the words "date", the words "date and time" shall be substituted.

3. Amendment of regulation 7.

In regulation 7 of the principal regulations, the following sub-regulation shall be added, namely : -

"(4) For bid evaluation purpose, network tariff and compression charges shall be considered only after the exclusivity period for exemption from the purview of common carrier or contract carrier only. The network tariff and compression

charges to be charged within this exclusivity period shall be the average of quoted values from 6th -10th year, or 90% of 6th year quoted values, whichever is lower and shall also be indicated in the financial bid for indicative purpose.".

4. Amendment of regulation 10.

In regulation 10 of the principal regulations, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) The selected entity shall be issued a letter of intent (LOI) to grant authorization upon finalization of the bid. The entity shall be required to furnish Performance Bank Guarantee within 15 days of issue of LOI and complete such other formalities as may be directed by the Board. Upon furnishing the Performance Bank Guarantee and completion of other formalities, the authorization shall be granted to the selected entity in the form of Schedule D".

5. Amendment of regulation 11.

In regulation 11 of the principal regulations,

(a) in sub-regulation (1),-

(i) after the words "firm natural gas supply agreement", the words "or Heads of Gas supply Agreement (HOA/ Memorandum of Understanding (MOU) for gas supply with natural gas producer/ marketer" shall be inserted;

(ii) for words "ninety days", the words "one hundred and twenty days" shall be substituted;

(b) for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely :-

"(3) The authorized entity shall obtain the financial closure of the project from a bank or financial institution alongwith firm natural gas supply agreement within a period of one hundred and eighty days from the date of grant of authorization." ;

(c) in sub-regulation (4), -

(i) for the words, "one hundred and twenty days", the words "one hundred and eighty days" shall be substituted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided further that financial closure shall mean a legally binding commitment of equity holders and debt financiers to provide or mobilize funding for the first phase of the CGD project which should not be less than ninety percent of the project cost to be incurred for the first five years of the CGD network.".

6. Amendment of regulation 12.

In regulation 12 of the principal regulations, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case flow of natural gas in the designated transmission pipeline is delayed for a period beyond three months from the scheduled date as indicated and is also later than the date CGD network is ready to take gas for reasons not attributable to the authorized CGD entity selected through the bidding process, the Board may extend the exclusivity period for exemption from the purview of common carrier or contract carrier by a period corresponding to the difference in the actual and scheduled natural gas flow in the transmission pipeline serving the authorized geographical area or the date when CGD network is ready to take gas, whichever is less, after assessing the reasons for such a delay. In such a case, the year-wise targets in respect of inch-km and domestic connection as well as schedule of levying network tariff and compression charges shall also be shifted accordingly by the Board. Further, the exclusivity period for laying, building or expanding the CGD network as stipulated shall also be extended by the same period. For the purpose of monitoring progress of committed targets, the same shall be pro-rated in the effected years.".

7. Amendment of regulation 16.

In sub-regulation (1) of regulation 16 of the principal regulations, for clause (c), the following shall be substituted, namely : –

"in case of failure to take remedial action, the Board may encash the performance bond of the entity equal to percentage shortfall in meeting targets of inch-kms and/or domestic connections. Provided that, the value so encashed would be refunded, if the entity achieves the cumulative targets at the end of exclusivity period for exemption from the purview of common carrier or contract carrier. In case of failure to abide by other terms and conditions specified in these regulations, performance bond shall be encashed as under:

(i) 25% of the amount of the performance bond for the first default ; and

(ii) 50% of the amount of the performance bond for the second default:

Provided that the entity shall make good the encashed performance bond in each of the above cases within two weeks of encashment failing which the remaining amount of the performance bond shall also be encashed and authorization of the entity terminated.

(iii) 100% of the amount of performance bond for the third default and simultaneous termination of authorization of the entity.".

8. Substitution of Schedule C.

For Schedule C of the principal regulations, the following shall be substituted, namely :-

"Schedule C

[see regulation 5 (7)]

Application-cum-bid for grant of authorization for CGD network

To,
The Secretary,
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, Ist
Floor, World Trade Centre
Babar Lane, Connaught Place,
New Delhi – 110 001.

Sub: Application-cum-bid for grant of authorization for laying, building, operating or expanding city or local natural gas distribution network in the proposed geographical area of ____in the State or Union Territory of _under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or

Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008

(Attach separate sheets for providing information wherever necessary)

Part-I –General details of the entity and technical details of the project (to be submitted in a properly earmarked, sealed and separate envelope)		
1	Details of the entity	
A	Name of the entity	
B	Type of firm – Public Limited Company/ Private Limited Company/ Partnership firm/ Proprietorship firm / others (please specify and attach copy of Articles of Association or Partnership deed, etc., as applicable).	
C	Date of incorporation and date of commencement of business.	
D	Address of registered office.	
E	Name, addresses, telephone numbers, e-mails ID of all directors / partners / proprietor (please provide full details with STD Code and Pin Code).	

2	Business activities of the entity	
A	Give names of all existing city gas distribution network of the entity, if any, and its installed capacity, capital cost incurred till date, status of start of operations, yearwise gas volumes transported in the network in the past 3 years alongwith details of customers enrolled, distribution network map showing details of existing facilities and future plan and natural gas connectivity details.	
B	Details of tie-up or collaboration with any entity for natural gas supply and marketing.	
C	Details of other business, if any, being carried out by the promoters for the last five years.	
3	Ownership and affiliate details	
A	Details of promoters	
B	Details of all affiliates of the entity mentioning the business relationship between the entity and the affiliates ("affiliate" means as defined in the relevant regulations for affiliate code of conduct).	
C	The entity undertakes to produce all relevant records or documents of itself and its related entities on demand by the Board.	Yes / No
D	Is the entity a company registered under Companies Act, 1956?	Yes / No
E	Is the entity promoted by a company registered under Companies Act, 1956?	Yes / No
F	The entity undertakes to become a company, in case it is not a company at the time of submission of this application-cum-bid, under the companies Act, 1956 on being selected for grant of authorization.	Yes / No
G	Promoters undertaking in the form of letter of comfort stating that their financial contribution in the project shall be converted in to equity share capital within three months of the date of grant of authorization. Enclose the letter of comfort from the promoters.	Yes / No
4	Technical details of the proposed CGD network project	
A	Name of the proposed CGD network project.	

B	Indicate in the maps the charge areas and the extent of the geographical area alongwith sketch of facilities proposed.	
C	Sources of supply of natural gas and capacity tie-up with the natural gas pipeline including connectivity and the details of tie-up phase wise, if any.	
D	Confirm that all applicable technical standards, specifications including safety standards, as specified under the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards have been considered and complied with in designing the CGD network?	Yes / No
E	Non-refundable Application fee under the regulation 5 *(6)*.	Rs. <>
	Demand draft or pay order	
	Demand draft or pay order number and date	
	Name of issuing bank and branch	
F	Bid bond	Rs. <>
	Demand draft/ Pay order/ Bank Guarantee	
	Demand draft/ Pay order/ Bank Guarantee Number and date	
	Name of issuing bank and branch	

Part-II:	Financial bid (to be submitted in a separate earmarked sealed envelope) to be opened for those entities qualifying the minimum eligibility criteria and acceptable Feasibility Report under regulation 5 (7)	
A	Present Value (PV) of the Weighted Average Network Tariff Bid for laying, building, operating or expanding the CGD network over the economic life of the project (which is twenty five years from the date of authorization).	PV of the weighted average unit network tariff bid for each year of the economic life of the project using the discount rate of 14% is Rs.<____> per MMBTU Year-wise weighted average unit network tariff bid- Year 6: Rs.< > per MMBTU Year 7: Rs.< > per MMBTU : : Year 25: Rs.<____> per MMBTU

27756710—4

		Year-wise weighted average unit network Tariff from 1st to 5th year for information only (shall not be considered for bid evaluation) : Year 1: Rs.<_______> per MMBTU Year 2: Rs.<_______> per MMBTU : : Year 5 : Rs.<_______> per MMBTU
B	Present Value (PV) of the compression charge bid for compressing natural gas into CNG for dispensing in the CNG stations of the CGD network over the economic life of the project (which is 25 years from the date of authorization).	PV of the compression charge for CNG bid for each year of the economic life of the project using the discount rate of 14% is Rs.<____> per Kg Year-wise compressed charge for CNG bid - Year 6: Rs.<___> per Kg Year 7: Rs.<___> per Kg : : Year 25: Rs.<____> per Kg
		Compression Charge from 1st to 5th year for information only (shall not be considered for bid evaluation) : Year 1: Rs.<_______> per Kg Year 2: Rs.<_______> per Kg : : Year 5 : Rs.<_______> per Kg
C	Present Value (PV) of inch-kilometer of steel pipeline bid in the CGD network during the period of exclusivity in terms of exemption from purview of common carrier or contract carrier.	PV of inch-kilometer of steel pipeline bid in the CGD network using the discount rate of 14% is <inch-kilometer> Year-wise inch-kilometer bid- Year 1: < > inch-kilometer Year 2: < > inch-kilometer Year 3: < > inch-kilometer etc. (Each year of exclusivity in terms of exemption from purview of common carrier or contract carrier).

D	Present Value of the number of PNG domestic customers bid in the CGD network	PV of the number of PNG domestic connections bid using the discount rate of 14% is <Number> Year-wise number of PNG domestic connections bid – Year 1: < > inch-kilometer Year 2: < > inch-kilometer Year 3: < > inch-kilometer etc. (Each year of exclusivity in terms of exemption from purview of common carrier or contract carrier)

DECLARATION

1. Certified that the above information is true to the best of my / our knowledge and belief and the information and data given in the annexure, attachments, enclosures and calculation sheets accompanying this application-cum-bid are correct, complete and truly stated, and if any statement made herein is found to be incorrect, the application-cum-bid shall be rejected, the application fee and the Bid Bond shall be forfeited and I / We shall be liable to be proceeded against and for punishment under the provisions of the Act.

2. I/ We certify that the above application-cum-bid is the only application-cum-bid submitted and no other application-cum-bid has been or is being submitted separately for this city or local area by me / us.

3. We declare that on issue of letter of intent to grant authorization we shall submit the development plan envisaged for the proposed CGD network, project design and installed capacity of the CGD network along with details of phased-out capital expenditure plans including the projected dates of commencement of operations phase-wise and the details of the activities or targets associated with the completion of the project for approval of PNGRB and grant of authorization

4. We also declare to submit after grant of authorization, all details of the CGD project like DFR (based on which financial approvals are taken), all technical specifications of the project covering full details of pipeline design, pressure, length of network, pipeline diameter, pipeline thickness, route, corrosion protection arrangements, city gate station, natural gas source, tap-off points, main block valves, isolation valves, emergency shutdown valves, odourization facilities, metering arrangements, CNG stations, HSE measures etc.

Date : Name and Signature of Entity/ Authorized Signatory
Place : Official Seal

Instructions for filling the Application-cum-bid:

1. All entries in the form and annexed documents should be legible with no cuttings.
2. Details requiring separate statement may be enclosed giving clear reference of the point against which the same is being attached.
3. All pages of the application-cum-bid and the attachments and statements need to be serially numbered and initialed by the person or official authorized by the entity through a notarized power of attorney.
4. Any information filled in the application-cum-bid needs to be substantiated by attaching relevant proof of the same.
5. The entity is required to submit the application cum bid with all enclosures in the manner as specified in the bidding document.
6. Incomplete application-cum-bid is liable to be summarily rejected.
7. All quoted figures shall be positive numbers.
8. *The Application cum Bids submitted in response to sub-regulation 5(5), must be* accompanied with all enclosures in the manner as specified in the Application cum Bid document, which shall specify in detail the terms and conditions of such bidding.".

9. Amendment of Schedule D.

In schedule D of the principal regulations, -

(a) in para 8, for the words, "one hundred and twenty days" the words "one hundred and eighty days" shall be substituted;

(b) in para 9, the words "which is also annexed to this schedule"' shall be inserted at the end.

10. Insertion of new Schedule :

After Schedule J, the following schedule shall be inserted, namely:-

"Schedule K
[See regulation 5 (6) (e) (i)]

Methodology for Computation of Net worth

Methodology for Networth Computation under Method 1:

Subscribed & Paid up Equity Capital	
Add: Reserve & Surplus (excluding revaluation reserves)	
Less: Miscellaneous Expenditure not written off	
Less: Reserves not available for distribution to equity shareholders	
Total Net worth	

Methodology for Networth Computation under Method 2:

By valuation of assets on the following basis:

A. Listed (Quoted) investments in the name of the applicant (at market value)

(Detailed list to be enclosed)

B. Margin of 30% on market value of listed (quoted) Investments

C. Net value of listed Investments (A) – (B)

D. Investments in unlisted (unquoted) companies (as per Note No. 2)

E. Margin of 50% on (D)

F. Net value of unlisted Investments (D) – (E)

G. Other Investments (at cost) like PPF, NSC at current value, Deposits with registered NBFCs, Bank FDs

H. Total Net Investments (C) + (F) + (G)

I. Market Value of Land & Building component of the Fixed Assets (Full details of such assets like survey number, Location, address, extent of land & building to be furnished)

J. Margin on I at 50%

K. Net value of such fixed assets (I – J).

L. Debtors not exceeding 3 months + Cash & Bank balance

M. Current Liabilities

N. Long term liabilities

O. Net worth (H + K + L) – (M + N)

Notes: -

1. Valuation of fixed assets for the consideration of net worth would have to be certified by government approved valuers which should not be more than 2 months old on the date of submission of the bid. Only those items of land & building that are in the name of the entity as well as in the possession of the entity shall be included under the head (I) - Land & Building component of the Fixed Assets. Those properties that are leased out by the entity or taken on lease shall not be included for computation of net worth. Fixed Assets other than Land & Building shall not be included for the purpose of computation of net worth.

2. Valuation of unlisted investments would be at "fair value" of the said investment, i.e. the average of the "break up value" and the "earning value". For this purpose: -

a) The "break up value" means the equity capital and reserves as reduced by intangible assets and revaluation reserves, divided by the number of equity shares of the investee company.

b) The "earning value" means the value of an equity share computed by taking the average of profits after tax as reduced by the preference dividend and adjusted for extra-ordinary and non-recurring items, for the immediately preceding three years and further divided by the number of equity shares of the investee company and capitalised at the following rate: -

- In case of predominantly manufacturing company, eight percent;
- In case of predominantly trading company, ten percent; and
- In case of any other company, including an NBFC, twelve percent;
- If, an investee company is a loss making company, the earning value will be taken at zero.

(e.g. earning value for an NBFC with capitalisation rate of 12%, is earning per share multiplied by 100/12)

3. Details of items comprising investments, current assets, current liabilities and long term liabilities should be given separately.

4. Current assets should exclude loans to related entities, bad and doubtful debts and debts outstanding for more than 3 months, advance against capital assets, pledged securities / assets, prepaid expenses and also intangible assets.".

[F. No. S-Admn/II/8/2010]

RATAN P. WATAL, Secy.

Footnote:— Principal regulations were notified vide No. G.S.R. 196(E) dated 19th March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800(E) dated 19th November, 2008 and G.S.R. 295(E) dated 30th April, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.